UPLL010025882026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) ललितपुर।

द्वितीय जमानत आवेदन सं० 761/2026

सुनील पुत्र मुन्ना कुशवाहा, निवासी ग्राम दावनी, थाना जाखलौन, जिला ललितपुर।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट आफ यू०पी० (दयाचन्द)

...अभियोगी/विपक्षी।

सेशन केस संख्या-469/2024
अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं.
थाना जाखलौन, जिला ललितपुर

16.06.2026

1. यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-761/2026, आवेदक/अभियुक्त **सुनील पुत्र मुन्ना कुशवाहा** की ओर से सेशन केस संख्या-469/2024 अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं., थाना जाखलौन, जिला ललितपुर में दाखिल किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार इससे पूर्व अंतरिम जमानत पर था, किन्तु न्यायालय द्वारा उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिनांक 01.06.2026 को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त हिरासत में हैं। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.02.2022 को शाम 8 बजे वादी घर पर था तभी अभियुक्तगण ने सहअभियुक्त सहित आकर वादी को मारापीटा, गाली-गुप्ता किया, जान से मारने की धमकी दी तथा नेत्रहीन पेंशन के रखे 2,000/- रुपये लूट कर ले गये। तद्क्रम में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा तलब किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुये यह बहस की गयी है कि आवेदक/अभियुक्त बेगुनाह एवं बेकसूर हैं, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त के पिता की हत्या वादी मुकदमा व उसके परिजन द्वारा की गयी थी जिसमें अभियुक्त ने एफआईआर सं० 18/21 दर्ज करायी थी, जिसमें अभियुक्त से राजीनामा करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठा प्रकरण पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी की जेब से 2,000/- रुपये की लूट नहीं की गयी और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी। परिवाद में जो साक्षी बताये गये हैं, निष्पक्ष साक्षी नहीं है। मामले में सहअभियुक्तों गंगाराम आदि की

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.06.16 13:04:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, आवेदक का मामला सहअभियुक्तों से भिन्न नहीं है। उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिनांक 01.06.2026 को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर उनको जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तों सहित वादी के घर आकर उसे मारापीटा, गाली-गुप्ता किया, जान से मारने की धमकी दी तथा नेत्रहीन पेंशन के रखे 2,000/- रुपये लूट कर ले जाने का अपराध धारा 392 भा.द.सं. के अन्तर्गत गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त को उनके द्वारा कारित गंभीर अपराध में उनको न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर वे साक्षीगण को डराने, धमकाने व साक्ष्य का विलोपन करने का प्रयास करेगा। वादी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 24.01.2025 में घटना के तथ्यों को दोहराते हुए अभियुक्त एवं सहअभियुक्तों की जमानत का विरोध किया गया। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में दिनांक 23.02.2022 को शाम 8 बजे वादी घर पर था तभी अभियुक्त ने सहअभियुक्तों सहित आकर उसे मारापीटा, गाली-गुप्ता किया, जान से मारने की धमकी दी तथा नेत्रहीन पेंशन के रखे 2000/- रुपये लूट कर ले जाने का अभिकथन किया गया है। आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिनांक 01.06.2026 को जेल भेज दिया गया था। तद्क्रम में अभियुक्त को सहअभियुक्त सहित न्यायालय द्वारा तलब किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के पिता की हत्या वादी मुकदमा व उसके परिजन द्वारा की गयी थी जिसमें अभियुक्त ने एफआईआर सं० 18/21 दर्ज करायी थी, जो विचाराधीन होना कहा है जिसमें अभियुक्त से राजीनामा करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठा प्रकरण पंजीकृत कराया जाना कहा है। परिवादी द्वारा परीक्षित हितबद्ध साक्षीगण हैं। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा उपरोक्त उल्लिखित मुकदमें एफआईआर सं० 18/21 में भी विवेचना पूर्ण कर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी जा चुकी है। मामला परिवाद पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मामले में सहअभियुक्तों गंगाराम आदि की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, आवेदक का मामला सहअभियुक्तों से भिन्न नहीं है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त न करते हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुनील पुत्र मुन्ना कुशवाहा** की ओर से सेशन केस संख्या-469/2024 अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं., थाना जाखलौन, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-761/2026 **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू (जिसमें से एक परिवार के सदस्य का हो) दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

1- आवेदक/अभियुक्त, इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि साक्षीगण के साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित आने पर कोई स्थगन याचित नहीं करेगा इस शर्त के उत्वधन पर परीक्षण न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जमानत का दुरूपयोग मानते हुये विधि अनुसार आदेश पारित करेगी।

2- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय में परीक्षण प्रारंभ होने, आरोप विरचित किये जाने तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन कथन लिपिबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर तथा जमानत का दुरूपयोग किये जाने पर परीक्षण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करेगी।

4- आवेदक/अभियुक्त, ऐसा कोई समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा जिसका उनके विरूद्ध पूर्व से अभियोग चल रहा है।

5- आवेदक/अभियुक्त, वादी/पीड़ित को डरायेगा, धमकायेगा नहीं, न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा गवाहों को डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा।

दिनांक **16.06.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।